पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 जनवरी, 2021 ई० (पौष 26, 1942 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पालिका परिषद् जोशीमठ

सार्वजनिक सूचना

04 नवम्बर, 2020 ई०

संख्या 451 / सी0एम0सी / उपविधि–मुद्रण / 2020–21–नगर पालिका परिषद् जोशीमठ, चमोली सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–298 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की उपधारा–2 खण्ड–(ख) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद् जोशीमठ द्वारा "फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम–2020" बनायी जाती हैं, जो नगर पालिका अधिनियम–2016 की धारा–30 (1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एंव आपत्तियॉं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद जोशीमठ चमोली को प्रेषित की जा सकेगी। वाद मियाद प्राप्त आपत्तियों एंव सुझावों पर कोई विचार नही किया जायेगा।

अध्याय–1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागे होने की तारीखः
(1) ये उपनियम नगर पालिका परिषद जोशीमठ, चमोली "फीकल स्लज एंव सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम–2020" कहलायेगा।
(2) ये उपनियम नगर पालिका परिषद जोशीमठ, चमोली के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।
2. ये उपनियम नगर पालिका परिषद जोशीमठ की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

1. प्रसंगः–

देश का विगत अनुभव दिखाता है ,कि सेप्टिक टैंक और अवधीय जो डिजाइन से सम्बन्धित है और परिवार और ग्रामीण संस्थाओं द्वारा वर्षों से अनुपालन किया जा रहा है, वह इस समय सोचनीय प्रबंधन में है। यह महत्वपूर्ण है कि एक उचित वैज्ञानिक प्रबंध इन मामलों में/सेप्टेज का अनुपालन किया जाता है, ताकि सेप्टेज/फीकल स्लज सेप्टिक टैंक, गड्ढे, शौचालय, पर्यावरण नदी एंव अन्य पानी के स्रोत को प्रदूषित न करें।

1.1 राष्ट्रीय फीकल स्लज एंव सेप्टेज प्रबंधकीय नीतिः

इस पहलू को संबोधित करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने एक फामूर्ला प्रकाशित किया है, राष्ट्रीय फीकल स्लज एंव सेप्टेज प्रबंध नीति" वर्ष 2017 में इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय शहर और नगर पूर्ण रुप से स्वच्छ, तंदुरुस्त और जीवित बने रहे और अच्छी सफाई भी बनी रहे। जिसके साथ उन्नत स्थल स्वच्छता सेवा साथ ही फीकल स्लज और सेप्टेज और सेपटेज प्रबंधक, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जा सके और स्वच्छ वातावरण बना रहे, जिसमें गरीबो पर ध्यान केंद्रित किया जाये।

शहरी नीति का मुख्य उद्वेश्य एक प्रसन्न, प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है, ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र में हो सके, जैसे कि सुरक्षित और स्थायी सफाई व्यवस्थां एक वास्तविकता प्रत्येक परिवार के लिये गलियों में नगर और शहरों मे बनी रह सके।

1.2 उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोलः

आदरणीय एन0जी0टी0 आदेश सं0 10/2015 दिनॉक 10–12–2015 ने निम्न निर्देश निर्गत किये है, जो कि उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबंध से सम्बन्धित है। " उचित प्रबंध योजना या प्रोटोकोल तैयार किया जायेगा और राज्य द्वारा तथा समस्त एजेन्सी द्वारा सूचित किया जायेगा। यह आशान्वित रखने के लिए कि सीवरेज की निकासी जो कि सामान्य सेप्टिक टैंक में या बायो डाइजेस्टर में एकत्रित की जाती है, नियमित रुप से खाली की जाये और उसका उचित प्रबंध किया जाये और उसके परिणामस्वरुप खाद जो इस प्रकार से एकत्रित हुई है वह निशुल्क किसानो में वितरित की जाये और इस उद्वेश्य हेतु राज्य प्रशासन एक प्रभावी भागीदारी सम्बन्धित नगर पालिका/पंचायत कहलायेगी।

उपरोक्त के अनुपालन में और जल आपूर्ति एंव सीवेरेज अधिनियम 1975/नगरपालिका अधिनियम 2016 शहरी विकास निर्देशालय जो कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के समन्वय से होगा, उन्होने एक प्रोटोकोल सेप्टेज प्रबंध के लिय तैयार किया है, जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सराकार द्वारा सूचित किया गया है, ताकि इसको अनुपालन शहरों/नगरों में हो सके आदेश संख्या 597/ पअ(2)–श0वि0–2017–50 (सा0)/16 दिनॉक 22–05–2017 राज्य का सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल राज्य और शहरों को यह दिग्दर्शन कराता है, ताकि वैज्ञानिक सेप्टेज प्रबंध बना रहे, जो एकत्रीकरण, परिवहन,इलाज, सेप्टेज/फीकल स्लज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके। स्पष्ट दिशा निर्देश इस प्रोटोकोल के है कि राज्य और शहरी अधिकारियों को इस योग्य बनाया जाये कि वे अपने सेप्टेज प्रबंध का उच्चीकरण कर सके और परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचान कर सके। इस प्रोटोकोल के प्रभावी कियान्वयन के लिए और आंतरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल का आयोजन किया गया है, जिसके अर्न्तगत नगर पालिका परिषद जोशीमठ , जल निगम, जल संस्थान होंगे।

2– नगरीय उपकानून/फीकल स्लज एंव सेप्टेज प्रबंध का नियमितिकरणः

सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल के अनुसार जो कि शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या–597/ पअ(2)–श0वि0–2017–50 (सा0)/16 दिनॉक 22–05–2017 एंव समस्त लागू होने योग्य नियम कानून या नियमावली नगर पालिका परिषद जोशीमठ नियमित ढॉचा रिक्त करने, एकत्र करने परिवहन और सेप्टेज/फीकल स्लज के परिवहन एंव निस्तारण हेतु जैसा कि संदर्भित है। फीकल स्लज एंव सेप्टेज प्रबंध उपनियम के अर्न्तगत, जो कि यहॉ स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पालिका परिषद जोशीमठ के क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत सूचित किया जाता है।

3. उद्वेश्य एंव कार्यक्षेत्रः

नियमावली के उद्वेश्य एंव कार्यक्षेत्र निम्नवत् हैः

1. निर्माण, सेप्टिक टैंक के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गढडे, परिवहन इलाज और सुरंक्षित रखरखाव जो कि सलज और सेप्टेज से सम्बन्धित है।
2. क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है, उसको निर्देशित करना जो कि सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से और फीकल स्लज एंव सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है, ताकि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके।
3. उचित निरीक्षण प्रदान करना और मशीनरी का अनुपालन!
4. लागत वसूली सुनिश्चित करना जो सलज के और सेप्टेज प्रबंध के उचित प्रबंध हेतु है।
5. निजी और गैर सरकारी क्षेत्र फीकल सल्ज एंव सेप्टेज प्रबंध में सहभागी की सुविधा देना।

4. एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज और सेप्टेज के खुर्द–खुर्द हेतु एक प्रकिया अपनानाः

4.1 सेप्टिक टैंक और सेप्टेज/ फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करनाः

- सेप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है, उसको काटना और एक बार उसको ठीक करना, जो कि गहराई में पहुँच गया है, या बार बार के आखिर में जो डिजाइन, जो कोई भी पहले आवे।
- जबकि सल्ज को सुखाना और सेप्टिक टैंक को जो द्रव्य, उसको भी सुखाना। मैकेनिकल वेक्यून टैंकर का भी उपयोग नगरीय अधिकारियों द्वारा सेप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए।
- सुरक्षा प्रकिया जैसा कि सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल मे वर्णित है, को सेप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

4.2 सेप्टेज/फीकल स्लज का परिवहनः

1. फीकल सल्ज एंव सेप्टेज ट्रार्सपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे। जैसा कि समय–समय पर एस0एम0सी0 द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

2. फीकल सल्ज एंव सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आश्वासन देंगे किः

अ. पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अर्न्तगत समस्त उपकरण जो कि परिवहन हेतु इस्तेमाल किये जायेंगे फीकल सल्ज एंव सेप्टेज हेतु। जो कि छिद्र निरोधी होगा और फीकल सल्ज एंव सेप्टेज के सुरक्षा हेतुं ताला बंद रहेगा और लागू किये जाने योग्य मानदंड का अनुपालन करेंगे।

ब. कोई भी टैंक और उपकरण जो फीकल सल्ज एंव सेप्टेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु इस्तेमाल नही किया जायेगा।

4.3 सेप्टेज का निष्पादन और इलाज :

राज्य सेप्टेज मैनेजमेट प्रोटोकोल के अनुसार प्रत्येक नगर को अपनी एक इकाई होगी। अगर पहले से 25 किमी0 के अंर्तगत स्थित है तो सेप्टेज को नजदीकी एस0टी0पी0 में परिवहन किया जायेगा, अन्यथा एक अलग सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लान का निर्माण किया जायेगा।

5. सुरक्षा उपाय :–

1. उचित तकनीकी शयंत्र, सुरक्षा, उपकरण का प्रयोग करते हुये मल निस्तारण किया जाना चाहिए जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य सेप्टेज प्रबंधक प्रोटोकोल 2017 में वर्णित हैं।

2. फीकल सल्ज एंव सेप्टेज ट्रासंपोर्टर यह आशान्वित करें कि :

अ. समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सेपटी गेयर और यंत्र जिसके अर्न्तगत कंधे की लंबाई तक पूरा काटेड लियोप्रीन लोपस, रबड बूट, चेहरे का मास्क और ऑखो की सुरक्षा जैसा कि रोजगार का नियन्त्रण जो कि मेनवल स्कोवेंजर और उनके पुनर्वास नियम 2013 में उल्लिखित है।

ब. समस्त सुरक्षा उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जाये।

स. समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओ को सुरक्षा गियर और स्वास्थ्यवर्धक उपकरण की शिक्षा दी जानी चाहिए।

द. प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैंप, आग बुझाने वाले यन्त्र, मल निस्तारण गाडी में रखे जाते हैं, जिससे पहले कि यह एकत्रीकरण क्षेत्र में जाता है।

य धुम्रपान जबकि सेप्टिक टैंक और पिट लैट्रिन में काम चल रहा हो, धुम्रपान वर्जित है।

र. मल निस्तारण कार्यकर्ता सेप्टिक टैंक में और शौचालयय गड्ढे में प्रवेश नही करेंगे और आच्छादित टैंक को हवा के लिऐ आना–जाना रखेंगे, जो कि इस कार्य को शुरु करने से पहले किया जाना आवश्यक है।

ल. बच्चों को टैकं के ढक्कन से दूर रखा जाये, ताकि वे टैंक के स्क्रू और ताले से सुंरक्षित रहे। कर्मचारी सवाधान रहेंगे कि जब मल निस्तारण प्रकिया चल रही हो, जो कि ढक्कन कर अत्यधिक भार हेतु है या मेन हॉल का आच्छादन टूटने से बचा रहे।

6. सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहनः

6.1 नगर पालिका परिषद जोशीमठ चमोली दर्ज करेगा और लाईसेन्स निर्गत करेगा। निजी व्यवसायों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन उपलब्ध हो। इस प्रकार का लाईसेंस निर्गत करने से पहले यह आशान्वित करेगा कि वह ट्रक उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है। सेप्टेज ट्रांसपोर्टर और उसका पंजीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करेगा, जो कि गाडियों के परिवहन हेतु होगा। ये निजी व्यक्ति को भी अपने इस कार्य में उत्साहित करेंगे। पंजीकरण प्रपत्र और परमिट परिशिष्ट–ए, 2 में संलग्न है।

6.2 कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रॉसपोर्टर द्वारा प्रयोग किया जायेगा, जो कि एकत्रीकरण परिवहन और सेप्टेज के प्रयोजन हेतु है। जब तक इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोट्रेशन व्हीकल एस0एम0सी0 के साथ इन प्रोटोकोलों में जब तक पंजीकृत नही हैं।

सारणी 1 पंजीकरण व्यय

अ.	प्रारम्भिक पंजीकरण	: रू0 2,000.00 प्रति गाडी
ब.	नवीनीकरण	: रू0 1500.00 प्रति गाडी
स.	नाम परिवर्तन या स्वामित्व का परिवर्तन	: रू0 1000.00 प्रति गाडी
द.	अन्य संषोधन आवष्यकतानुसार	: रू0 1000.00 प्रति गाडी

(समस्त लागत दर 10 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से बढेगा)

- पंजीकरण व्यय जैसा कि सांकेतिक है निकाय के बोर्ड द्वारा जो स्वीकृत है, उसमें अंतर आ सकता है।

7. उपभोक्ता लागत और इसका संचयः

7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि निकाय में फीकल सल्ज एंव सेप्टेज उपनियम में समय–समय पर दर्शाया गया है जो कि सेप्टिक टैंक के भरने, शौचालय के गड्ढे, परिवहन और फीकल सल्ज एंव सेप्टेज के उपाय हेतु है।

7.2 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र में निरर्थक पानी के निष्कासन की प्रणाली उपलब्ध है, जो कि निकाय कार्य एंव शिकायत हेतु प्रमाणित है और वे भी जो कि सीवर नेटवर्क से सम्बन्धित है, उनको उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है।

7.3 निकाय अपनी लागत संशोधित करेगा, जो कि समय–समय पर इससे सम्बन्धित है। ऐंसी उपभोक्ता लागत जिसके अंर्तगत मल निस्तारण लागत परिवहन एंव फीकल सल्ज एंव सेप्टेज के निष्कासन हेतु।

7.4 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किये जाये जो निम्नवत् है।

अ. उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष रुप से निकाय द्वारा वसूल किया जायेगा या निकास फण्ड मे जमा किसा जायेगा। सम्बन्धित भवन/सेप्टिक टैंक मालिक से।

ब. निकाय किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जिसके अर्न्तगत फीकल सल्ज एंव सेप्टेज परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्रित की जायेगी। जो कि उस क्षेत्र विशेष स्वामी का है और सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से सम्बन्धित है। एक यादगार समझदारी निकाय और अधिकृत फीकल सल्ज एंव सेप्टेज परिवहनकर्ता के बीच अनुबंधित होगी। जो यह अधिकारी देगा कि वह इसकी लागत वसूल करें और उसका भुगतान निकाय को करना होगा।

स. उपभोक्ता लागत का मासिक सिचाई लागत सा सम्पत्ति कर मे जोडा जायेगा या एक विशेष नगरीय पर्यावरण फीस या भुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अंतर्गत होगा,करना पडेगा।

सारणी 2: उपभोक्ता लागतः–

क0 सं0	वर्ग	प्रति यात्रा लागत	विराम की अधिकतम अवधि जो कि सेप्टिक टैंक एंव शौचालय गड्डे हेतु निर्धारित है	मासिक दंड 1.5 की दर सामान्य लागत के लिए जो कि निर्धारित मल निस्तारण के अनुपालन हेतु होगा
1	टीनशैड वाला मकान	1000	कम से कम 2–3 वर्ष में एक बार	50
2	अन्य समस्त मकान	3500	जब टैंक 2 होते है	100
3	दुकान	2500	2/3 जो भी पहले भरा जाये कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार जब टैंक का 2/3 भाग पहले भरा हो	125
4	समस्त सरकारी/निजी कार्यालय	2000		250
5	बैंक	3500		312
6	सामुदायिक शौचालय/मूत्रालय	3000		500
7	रेस्टोरेंट	2000		500
8	होटल/गेस्ट हाउस 1–10 कमरें	3500		250
9	होटल/अतिथि गृह 11–20 कमरें	4000		250
10	होटल/अतिथि गृह 20 कमरें से ज्यादा	5000		500
11	धर्मषाला 1–25 कमरें	3500		625
12	धर्मषाला 15 कमरें से ज्यादा	5000		200
13	3 स्टार होटल	3500		400
14	5 स्टार होटल	5000		750
15	सरकारी स्कूल /कॉलेज	2000		1000
16	निजी स्कूल/कॉलेज	2500		500
17	2 व्हीलर व्हीकल षौरुम	2000		625
18	4 व्हीलर वाहन षौरुम	2500		500
19	सिनेमा हॉल	3500		625
20	होटल 0–20 कमरें	3500		1250
21	होटल 21 से 50 कमरें	4000		500
22	होटल 50 कमरें से अधिक	5000		550
23	विवाह हॉल/बैंकेट हॉल	3500		1100
24	बार	3500		625
25	सरकारी हॉस्पीटल	3000		625
26	नर्सिंग हॉम/क्लीनिक	3000		500
27	पैथोलोजिकल लैब	3000		500
28	निजी अस्पताल 20 विस्तर तक	3500		500
29	निजी अस्पताल 20 से 50 विस्तर तक	4000		1250
30	निजी अस्पताल 50 विस्तर से अधिक	5000		1500
31	चवल की मिल/ अन्य मिलि	3500		1750
32	अन्य उद्योग शिड्कूल क्षेत्र में	4000		500
33	अन्य उद्योग शिड्कूल क्षेत्र से बाहर	3500		1500

नोट:–

1. उपरोक्त उपभोक्ता व्यय सांकेतिक है, और उनका निर्णय और स्वीकृति नगर पालिका परिषद जोशीमठ चमोली द्व निर्णित किये जायेगें।

2. मल निस्तारण विषेश समयावधि में होगा या जब टैंक 2/3 की आपूर्ति कर देता है (जैसा कि नगर पालिका परिषद जोशीमठ चमोली द्वारा स्वीकृत है)।

3. उपभोक्ता लागत 5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढायी जायेगी।

8. **मैकेनिजम का निरीक्षण, कियान्वयन और मजबूती देना:**

8.1 कोई भी व्यक्ति जो कि एस0एम0सी0/ नगर पालिका परिषद जोशीमठ चमोली द्वारा अधिकृत है, उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सेप्टिक टैंक एंव हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या सामुदायिक/संस्थागत आदि का निरीक्षण करेगा।

8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है, जुर्माना अलग से लगायया जायेगा, और इससे प्राप्त धनराशि नगर पालिका परिषद जोशीमठ में जमा होगी।

8.3 नगर पालिका परिषद जोशीमठ के अपने क्षेत्र के सेप्टिक टैक के खाली होने का अभिलेख रखेगें।

8.4 अवचेतना कार्यकम समय–समय पर चलाया जायेगा, जो कि प्रत्येक व्यक्ति सरकार या निजी व्यवसायी के प्रशिक्षण हेतु होगी। जो कि सेप्टिक टैंक, बायोडाइजेस्टर,मल निस्तारण सेप्टिक टैंक का एकत्रीकरण,मशीनरी, परिवहन निष्पादन और सेप्टेज का इलाज।

9. **दण्ड–**

दंड का ढॉचा उपकरण से रहित/अकार्यषील जी0पी0एस0 प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें, फीकल सल्ज एंव सेप्टेज का एकत्र न करना और सेप्टेज इलाल प्लांट का /आर.एन.एल. का रजिस्ट्रीकरण न करना। सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाडियों का अनुपालन न करना।

सारणी 3: दंड

क्र0 सं0	शिकायत का प्रकार	दंड या कार्यवाही प्रथम दृष्टया पकडी गयी वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन	दंड या कार्यवाही वर्ष में दुबारा पकडी गयी मल निस्तारण वाहन	दंड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे समय पकडी गयी विषेश रुप से मल निस्तारण वाहन
1	लोगो की सोचनीय सेवा की शिकायत	2500	5000	03 महीने के लिऐ परमिट सेवा की शिकायत परमिट का निरस्तीकरण
2	सेप्टेज /फीकल सल्ज जैसा कि विशेष कार्यक्षेत्र में	1000	6 माह कि लिये परमिट को स्थगित करना	
3	पंजीकरण न करना/पंजीकरण का नवीनीकरण न करना	1000	20000	आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण करने हेतु 3 महीने के लिए परमिट को स्थगित करना/परमिट का निरस्तीकरण लिए स्थगित करना
4	विशेष सुरक्षा उपायो का पालन न करना	5000	10000	
5	जी0पी0एस0 जो वाहन पर लगाया गया है उसका कार्य न करना	5000	10000	

एस0 पी0 नौटियाल,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, जोशीमठ।

शैलेन्द्र सिंह पंवार,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद, जोशीमठ।